



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक 17

दिनांक 5-2-18

परिपत्र

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/मुख्यमंत्री हेल्पलाईन/181 पर आवासन मण्डल से सम्बन्धित शिकायतों का प्रत्येक स्तर पर अत्यधिक संख्या में लम्बित रहना चिन्ता का विषय है। उल्लेखनीय है कि शिकायतों के निस्तारण पश्चात् पुनः दर्ज किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या भी बहुत है जिससे प्रकरण के निस्तारण/निराकरण में गंभीरता की कमी प्रतीत होती है। शिकायतों का निराकरण करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शिकायत का गंभीरता से निराकरण सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर निरस्त किये गये चयनित प्रकरणों में सम्बन्धित शिकायतकर्ता से दूरभाष पर चर्चा कर सत्यापन सुनिश्चित किया जावे।

मण्डल से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिये जाने वाले बिन्दु :-

1. शिकायतों का L1, L2 एवं L3 स्तर पर समय सीमा में निस्तारण नहीं होने के कारण L4 स्तर पर स्वतः अग्रेषित हो रही है, जिसका कारण अधिकारियों की गंभीरता में कमी रहना है। अतः प्रत्येक दिवस शिकायतों का अवलोकन कर समय सीमा में समाधान करें।
2. आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिकायतों का L1, L2 एवं L3 स्तर पर संतुष्टिपूर्वक समाधान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण शिकायतें L4 स्तर पर पुनः दर्ज हो जाती है। अतः शिकायतों का समुचित समाधान करें।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/मुख्यमंत्री नागरिक सेवा/181 द्वारा प्राप्त शिकायतों के निराकरण में गंभीरता न होने पर सबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सहायक अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/रा.आ.म., जयपुर।
2. सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु.)/I/II, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता I/II/III, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त I/II/III, रा.आ.म., जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा, उदयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता—समस्त।
7. संयुक्त निदेशक सिस्टम एनालिस्ट मण्डल वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय प्रति।

मुख्य अभियन्ता (मु)